# पुरुषों को हर जिम्मेदारी से मुक्ति क्यों

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले में कहा गया है कि यदि कोई महिला आत्महत्या की धमकी देती है, झगड़ा करती है और घर छोड़ने की धमकी देती है तो पति उसके खिलाफ तलाक का हकदार है। हो सकता है इस एक मामले में हालात सचमुच नकारात्मक रहे हों, मगर क्या किसी भी सूरत में कोई भी महिला सहर्ष अपने वैवाहिक घर से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच सकती है।

विकल्पहीन सामाजिक स्थिति में यदि कोई महिला आत्महत्या की कोशिश, धमकी, घर छोड़ने की बात करती है तो क्या उसके मूल कारणों की पड़ताल नहीं की जानी चाहिए? क्या कोई औरत खुशी से ऐसा करना चाहेगी? जब पुरुष अधिकांश समय बाहर बिताता है, घर छोड़कर चला जाता है, या फिर विवाहेत्तर संबंधों में शामिल होता है, तब भी अक्सर महिलाओं को दोष दिया जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करती होगी। मगर जब महिलाओं के साथ यही हालात उत्पन्न होते हैं, तब हमारा समाज और हमारी सारी व्यवस्थाएं पुरुषों को हर जिम्मेदारी से मुक्त कर देती हैं?

**सुनीता ठाकुर**
लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं

विकल्पहीन सामाजिक स्थिति में यदि कोई महिला आत्महत्या की कोशिश, धमकी, घर छोड़ने की बात करती है तो क्या उसके मूल कारणों की पड़ताल नहीं की जानी चाहिए?

ये कैसे दोहरे मानदंड हैं, जो समस्या की जड़ों पर घात करने की बजाय उसे स्त्री और पुरुष के नजरिए से तौलते हैं। परिवार में यदि अशांति उत्पन्न होती है तो इसके कारणों की पड़ताल की जानी चाहिए कि क्यों स्त्री अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है। अधूरा खर्चा-पानी और पूरे भरण-पोषण की मांग, अवांछित यौन-संबंधों की यंत्रणा, पारिवारिक संबंधों में अपमान और उपेक्षा व अस्तित्वहीनता का जो दर्द हमारे परिवारों में महिलाएं झेलती हैं, उसके प्रति क्या किसी की कोई संवेदनात्मक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए।

आपको याद हो तो शादी से पहले मायके में बेटी के किसी भी गलती और दोष को हम ही लोग अक्सर यह कहकर टाल देते हैं कि 'ससुराल में जाकर सब सीख जाएगी।' मानों ससुराल न हुई कोई यंत्रणा शिविर हो गया, जहां कोई भी सुधर जाता है।

ऐसे में पुरुष मानस में जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक भला कैसे किसी भी सुधार और शांतिमय पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। फैसले देते समय हमारे जज यह क्यों भूल जाते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में होने वाले व्यवहारों व हिंसा से उत्पन्न मानसिक और भावनात्मक तनाव को महिलाएं जन्म से मृत्यु तक उम्र के हर दौर में झेलती हैं। गोया पति न हुआ कोई शासक हो गया, जिसका हर आदेश मानना पत्नी के लिए अनिवार्य हो।

sunitathakur_raghav@yahoo.co.in